अध्याय-8 : म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

40. म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड-

(1) ऐसी तारीख से, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करे, मध्यप्रदेश राज्य के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा जो म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहलायेगा।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, और वह अपने नाम से वाद चला सकेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा और वह किसी भी सम्पत्ति को अर्जित करने तथा धारण करने, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरित करने के लिए तथा संविदा करने के लिए और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त अन्य बाते करने के लिए सक्षम होगा।

अधिसूचना

अधिसूचना क्रमांक 4707-6929-चौदह-एक,दिनांक 04 अगस्त, 1973- म०प्र० कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 40 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा दिनांक 01 जून, 1973 से म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना करती है।

(मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 23.11.1973, पृष्ठ 1178 पर प्रकाशित।)

[40-क. राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति-

(1) राज्य सरकार, बोर्ड तथा मंडी समितियों को निर्देश दे सकेगी।

(2) बोर्ड तथा मंडी समितियाँ, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किये गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी।]

[41. बोर्ड का गठन-

(1) राज्य सरकार बोर्ड का गठन करेगी जिसमें अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

क- **पदेन सदस्य,--**

(क) मन्त्री, जो कृषि विभाग, मध्यप्रदेश, का भारसाधक हो,

(ख) सचिव/विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग,

(ग) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ, मध्यप्रदेश,

(घ) कृषि संचालक, मध्यप्रदेश,

(ङ) धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक;

ख- <u>राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य</u>

(च) मध्यप्रदेश विधान सभा के दो सदस्य, जो विधान सभा अध्यक्ष के परामर्श से नाम निर्दिष्ट किये गए हो;

(छ) मंडी समितियों के 10 अध्यक्ष, जिनमे किसी भी एक राजस्व आयुक्त संभाग में से एक से अधिक नहीं होगा;

(ज) राज्य के भीतर की किसी भी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि;

(झ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मध्यप्रदेश राज्य वस्तु व्यापार निगम का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक;

(ञ) कृषि उपज के विपणन के क्षेत्र में के दो विशेषज्ञ;]

(ट) ऐसे तुलैया एवं हम्मालो का एक प्रतिनधि, जो राज्य के भीतर की किसी मंडी समिति से तुलैया तथा हम्माल के रूप में लगातार दो वर्षो की कालवधि से अनुज्ञप्ति धारण किये हुए हो:

परन्तु धारा 10 के अधीन प्रथम बार स्थापित किसी मंडी समिति की दशा में, ऐसी मंडी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छः मास होगी।]

(2) मंत्री, जो कृषि विभाग, मध्यप्रदेश का भारसाधक हो, बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा बोर्ड के उपाध्यक्ष का नामनिर्देशन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गए पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।]

[(3) यदि अध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्त हो जाती है तो राज्य सरकार उसके लिए अंतरिम व्यवस्था करेगी ।]

[42. उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि-

1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड का उपाध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

परन्तु उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले।

2) बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि जैसे ही वह उस पद पर न रह जाय जिसके आधार पर वह नामनिर्देशन किया गया हो, समाप्त हो जाएगी ।

3) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, बोर्ड के किसी भी सदस्य को उसकी पदावधि का अवसान होने के पूर्व हटा सकेगी किन्तु ऐसा करने के पूर्व वह हटाये जाने के विरुद्ध उसे कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर देगी ।

[42-क. उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद त्याग-

क. उपाध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, को लिखित में संबोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और उसका पद, ऐसे त्याग-पत्र की तारीख से पूरे पन्द्रह दिन का अवसान होने पर उस दशा में रिक्त हो जायेगा, जबकि वह उक्त पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपना त्याग-पत्र लिखित में वापस न ले ।

ख. बोर्ड के उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके पद त्याग कर देने या उसके निरहित हो जाने या उसको हटा दिए जाने की दशा में यह समझा जायेगा की ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन करके भरी जाएगी। इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति ऐसे पद को अपने पूर्वाधिकारी की अनवसित अवधि तक के लिए धारण करेगा ।

42-ख. बोर्ड के सदस्यों को भत्ते-

बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन विकास निधि से उसके (बोर्ड के) सम्मिलनों में हाजिर होने के लिए या किसी अन्य कार्य को करने के लिये ऐसी बैठक फीस तथा भत्तो का भुगतान किया जायेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत किये जाऐ ।

42-ग. बोर्ड के सदस्य की निरर्हता-

कोई भी ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नही होगा-

क. जो योग्य निणीत दिवालिया है या किसी भी समय न्याय निणीत दिवालिया रहा है; या

ख. जो किसी ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है या ठहराया जा चुका है जिसमे राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमत्ता अन्तवर्लित है; या

ग. जो विकृतचित्त का है तथा जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा होना घोषित किया गया है; या

घ. जो किसी ऐसी कंपनी या फर्म का [प्रबंध संचालक] या सचिव, प्रबंधक या अन्य वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी है जिसकी कि बोर्ड या किसी मंडी समिति के साथ कोई संविदा है; या

ङ. जो धारा 58 के अधीन दोषी है, या किसी भी समय दोषी पाया गया है; या

च. जिसने सदस्य की हैसियत से अपने पद का राज्य सरकार की राय में इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि जिससे बोर्ड में उसका बना रहना जन-साधारण के हितो के लिए अपायकर हो जाता है ।

[42-घ. प्रबंध संचालक तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियो और कर्मचारियों की नियुक्ति-

1) बोर्ड का एक प्रबंध संचालक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक बोर्ड के पदेन सचिव के रूप में भी कृत्य करेगा ।

3) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियो तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यो तथा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

4) बोर्ड के समस्त अधिकारियो तथा कर्मचारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण प्रबंध संचालक में निहित होगा।]

[42-. उप समितियों की नियुक्ति-

बोर्ड, अपने कर्तव्यो या कृत्यों में से किसी भी कर्तव्य या कृत्य के पालन के लिए या उससे अनुषंगिक किसी विषय पर सलाह लेने के लिए उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगा जिनमे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक को सम्मिलित करते हुए उसके तीन या तीन से अधिक सदस्य होंगे और इन उप समितियों में से किसी भी उप-समिति को अपने कर्तव्यो या कृत्यों में से कोई भी कर्तव्य या कृत्य, जो कि आवश्यक समझा जाये, प्रत्योजित कर सकेगा ।]